राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–30/2025
जीसीएमएस नं.–2025/192

दायर दिनांक :–28.01.2025
निर्णय दिनांक :–11.02.2026

1. श्री जीवा पुत्र हलिया गेणात भील, निवासी–झालुकुंआ तहसील–गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर
2. ग्राम पंचायत झालुकुंआ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झालुकुंआ पंचायत समिति बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट सं. 1

प्रकरणः अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलान्ट स्व. श्री हलु पुत्र शंभु भील का पुत्र है, तथा ग्राम झालुकंआ के खाता संख्या नया 242 पुराना 132 जामबंदी संवंत 2078 में दर्ज भूमि किता 16 रकबा 3.8200 हेक्टेयर लगानी रूप्या 10.76 पर अपने भाईयों के साथ ही अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता श्री हलू के स्वर्गवास के पश्चात उनके खाते की भूमि का विरासती नामान्तरकरण संख्या 694 दिनांक 19.01.2024 को दायर किया गया, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा बगैर जांच एवं सुनवाई के अपीलान्ट की पीठ पीछे स्वीकार किया गया है। विरासत के नामान्तरकरण बाबत् अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ग्राम पंचायत को होता है किन्तु अपीलाधीन नामान्तरकरण बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 तहसीलदार द्वारा बगैर सुनवाई के आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पर आदेश पारित करने से पूर्व समस्त वारिसान की पुष्टि की जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करना था। किन्तु इस मामले में ऐसी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही करने से अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्ट द्वारा अपने कार्य हेतु खाते की ऑनलाईन नकल देखने पर अपीलान्ट को खाते में उसका नाम नही होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा तहसील एवं हल्का पटवारी सा. से संपर्क किया गया तो उसे जानकारी प्रदान की गई कि उसके पिता हलिया की मृत्यु पश्चात् विरासत में खोले गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने से ही खाते में नाम दर्ज नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा अपने खाते एवं नामान्तरकरण की नकले प्राप्त कर शीघ्रताशीघ्र अपील तैयार करा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 694 ग्राम झालुकुंआ तहसील गामडी अहाडा दायर दिनांक 19.01.2024 निर्णय दिनांक 16.02.2024 को निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार गामडी अहाड़ा को आदेश प्रदान किया जावे कि वे मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दायर करा नियमानुसार निस्तारण करने की कार्यवाही करे। अपील का अवधि में शुमार करने हेतु पृथक से अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वं 2 को नोटिस जारी कर जवाब देही हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम के झालुकुआ के नामान्तकरण संख्या 694 दिनांक 19.01.2024 दर्ज हुआ है जिसमें खाता संख्या 242 खसरा किता 16 कुल रकबा 3.82 हैक्टयर पर खातेदार हलु पुत्र शंभु हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार दर्ज था जिनके नामान्तकरण दर्ज में उनके वारिसान के नाम मणीलाल पुत्र हलिया लालकी पुत्री हलिया, सीता पुत्री हलिया, सोमली पुत्री हलिया, हुरज पुत्री हलिया, हांजा पुत्र हलिया

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

खाता सख्या 242 पर दर्ज हुए है। ग्राम झालुकुआ में हलिया पुत्र शभू मेणात जाति भील के 3 पुत्र मणीलाल पुत्र हलिया, जीवा पुत्र हलिया एव हाजा पुत्र हलिया है, लेकिन उक्त नामान्तकरण सख्या 694 में 2 पुत्र मणीलाल पुत्र हलिया व हाजा पुत्र हलिया का नाम दर्ज हुआ है। मतदाता सूची वर्ष 2002 में विधानसभा क्षेत्र 134 चौरासी भाग सख्या 42 (झालुकुआ) के क्र.स. 122 पर जीवा पुत्र हलिया क्र.स. 178 पर मणीलाल पुत्र हलिया क्र.स. 180 पर हाजा पुत्र हलिया दर्ज है। ग्राम के आम व्यक्तियो से जानकारी लेने पर भी ज्ञात हुआ की खातेदार हलु पुत्र शंभू मेणात के 3 पुत्र है। श्री मणीलाल पुत्र हलिया, जीवा पुत्र हलिया एवं हांजा पुत्र हलिया है। विपक्षीगण संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में जीवा पिता हलिया मेणात राजस्व गावं व ग्राम पंचायत झालुकुंआ के निवासी होने एवं उसका का नाम नामांतरण के समय नामांतरण 694 दिनांक 16.08.2024 के समय छूट गया है। अतः श्री जीवा मेणात पिता हलिया मेणात का नाम नामांतरण संख्या 694 दिनांक 16.02.2024 में जोडा जावें।

उभयपक्षो की बहस समायत की गई। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील को अवधि में शुमार कर अपील को स्वीकार करने प्रार्थना की गई। तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 694 ग्राम झालुकुंआ तहसील गामडी अहाडा में दायर दिनांक 19.01.2024 निर्णय दिनांक 16.02.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गामडी अहाड़ा को आदेश प्रदान किया जावे कि वे मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दायर करा नियमानुसार निस्तारण करने की कार्यवाही करे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम झालुकुआ में हलिया पुत्र शभू मेणात जाति भील के 3 पुत्र है लेकिन उक्त नामान्तकरण सख्या 694 में 2 पुत्र मणीलाल पुत्र हलिया व हाजा पुत्र हलिया का नाम दर्ज हुआ है। मतदाता सूची वर्ष 2002 में विधानसभा क्षेत्र 134 चौरासी भाग सख्या 42 (झालुकुआ) के क्र.स. 122 पर जीवा पुत्र हलिया क्र.स. 178 पर मणीलाल पुत्र हलिया क्र.स. 180 पर हाजा पुत्र हलिया दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रस्तुत जवाव में जीवा पिता हलिया मेणात राजस्व गावं व ग्राम पंचायत झालुकुंआ के निवासी होने एवं उसका का नाम नामांतरण के समय समय छूट जाने से श्री जीवा मेणात पिता हलिया मेणात का नाम नामांतरण संख्या 694 दिनांक 16.02.2024 में जोडा जाना अंकित किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं समस्त दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट की प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण संख्या 694 ग्राम झालुकुंआ तहसील गामडी अहाडा में दायर दिनांक 19.01.2024 निर्णय दिनांक 16.02.2024 में अपीलान्ट का नाम नही होने से नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलान्ट वारिसान का नाम नामान्तरण में दायर किया जाना है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब में पाया कि खातेदार हलु पुत्र शंभु मेणात के तीन पुत्र है, जिसमें से एक श्री जीवा पिता हलिया मेणात भी होने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी श्री जीवा पिता हलिया मेणात का नाम नामांतरण के समय नामांतरणकरण संख्या 694 दिनांक 16.08.2024 में छूट जाना तथा उसका नाम नामांतरण में जोडने का अंकन किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों, संबंधित दस्तावेजों और पक्षों की सहमति के आधार पर अपील का अवधि में शुमार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 694 ग्राम झालुकुंआ तहसील गामडी अहाडा दायर दिनांक 19.01.2024 निर्णय दिनांक 16.02.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गामडी अहाडा को प्रति–प्रेषित कर आदेश कर दिया जाता है कि वे मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान के नाम नवीन नामान्तरकरण दायर करे तथा नियमानुसार निस्तारण करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)